[2020] 12 एस. सी. आर. 1019

नोई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा,

(अब नॉय एंबिएंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है)

वी.

जिंदल ड्रग्स लिमिटेड एंड ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील सं. 8607)

26 नवंबर, 2020

[इंदिरा बनर्जी और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एस. 34 – याचिका-चुनौतीपूर्ण विदेशी पुरस्कार

आयोजित की रखरखाव क्षमताः वर्तमान मामले में मध्यस्थता की सीट लंदन में आई. सी. सी. चैलेंज के तत्वावधान में इस तरह के फैसले के लिए थी।

यू/एस। 34 रखरखाव योग्य नहीं है।

एस. 50 – मध्यस्थता कार्यवाही में पारित आदेशों के खिलाफ अपील-रखरखाव-आयोजितः केवल धारा 50 में अपील का प्रावधान है।

विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में-ऐसे आदेशों के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पूर्ववर्ती सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हुए, कहने के लिए, * बाल्को मामले की प्रयोज्यता के तरीके के बारे में

मध्यस्थता और सुलह के भाग I की प्रयोज्यता को छोड़कर, मध्यस्थता के केंद्र के कानून (या संक्षिप्त कानून) के संबंध में किए गए समझौतों और पहले दिए गए पुरस्कारों के संबंध में

अधिनियम, 1996 और वर्तमान मामले में पक्षों का स्पष्ट इरादा (अनुबंध के खंड 12.4.2 में व्यक्त) कि

मध्यस्थता का केंद्र लंदन था, जहाँ वास्तव में आई. सी. सी. मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी, और दिए गए पुरस्कार, इस अदालत की राय है कि विवादित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 23] [1052-डी-एफ]

* भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327; वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम। सत्यम

कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और ए. एन. आर. (2008) 4 एससीसी 190: [2008] 1 इसके बाद एस. सी. आर. 501 आया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रोजर शाशोआ बनाम। मुकेश शर्मा (2017) 14 एससीसी 722: [2017] 7 एस. सी. आर. 442; आईमैक्स निगम बनाम। ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) (पी.) लिमिटेड (2017) 5 एस. सी. सी. 331: [2017] 4 एस. सी. आर. 833; भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड

(2020) एससीसी ऑनलाइन (एससी) 749; बीजीएस सोमा जेवी बनाम।

राष्ट्रीय पनबिजली ऊर्जा निगम (2020) 4

एस. सी. सी. 234-पर निर्भर।

भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए. और ए. एन. आर. (2002)

4 एस. सी. सी. 105 [2002] 2 एस. सी. आर. 411; भारत संघ बनाम।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (2015) 10 एस. सी. सी. 212: [2015] 10

एससीआर 85; हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम। गुप्ता गोल इंडिया लिमिटेड 2015 (9) एस. सी. सी. 172: [2015] 2 एससीआर 697

संदर्भित किया गया।

- 2.1

फ्यूर्स्ट डे लॉसन में निर्णय स्पष्ट रूप से

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की स्थिरता को खारिज कर दिया। वर्तमान मामले में,

आंशिक और अंतिम दोनों पुरस्कार विदेशी पुरस्कार हैं। इसलिए, धारा 47/48 के प्रावधानों को अपीलार्थी द्वारा पुरस्कारों को लागू करने के लिए (आवेदन संख्या 156/2005 के माध्यम से) सही ढंग से लागू किया गया था। प्रतिवादी ने प्रवर्तन पर आपत्ति जताई

इसके प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ते हुए, दिनांकित 05.06.2006 के एक निर्णय द्वारा, साथ ही प्रतिवादी द्वारा निर्धारित प्रवर्तन की चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया। दोनों पक्षों ने डिवीजन बेंच में अपील की; आदेश को चुनौती देने पर प्रत्यर्थी ने प्रवर्तन पर अपनी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया (अपील सं. 492/2006), और एकल न्यायाधीश के आदेश के उस हिस्से के बारे में अपीलकर्ता ने एक पुरस्कार का हिस्सा (अपील। नं. 740/2006)। [पैरा 24] [1052-जी; 1053 ए-बी]

2.2 . विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, केवल धारा 50 ही अपील प्रदान करती है। इसलिए,

डिवीजन बेंच में प्रतिवादी की अपील, (अपील संख्या 492/2006) विचारणीय नहीं है। हालाँकि, अपीलार्थी की अपील (अपील करें। सं. 740/2006), एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ (जिस हद तक वह प्रवर्तन से इनकार करता है) बनाए रखने योग्य है।

[पैरा 25] [1055 एफ-जी] नोई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नोई एंबिएंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड

2.3 इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी अपील (एक के खिलाफ

प्रवर्तन का आदेश) धारा 50 के कारण असमर्थनीय है, एकल न्यायाधीश के आदेश पर प्रतिवादी की आपत्तियों के गुण, इसे उचित कार्यवाही में प्रचार करने के लिए खुले हैं। इस तरह की कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी उपाय का सहारा नहीं हो सकती है। यदि प्रतिवादी इस तरह के उपाय का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो सीमा का सवाल खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे - यह अदालत इस तथ्य से अवगत है कि फ़्यूर्स्ट डे लॉसन 10 साल पहले दिया गया एक निर्णय है; इसने कानून को निर्णायक रूप से निपटाया और बाद के फैसलों में इसका पालन किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि

प्रतिवादी कानून से अनजान था। [पैरा 26] [1055-एच; 1056 ए-बी]

** फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011)

8 एससीसी 333: [2011] 11 एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम सिम्प्लेक्स

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017) 14 एस. सी. सी. 225; कांडला निर्यात

कॉर्प. वी. ओ. सी. आई. निगम (2018) 14 एस. सी. सी. 715: [2018] 1

एस. सी. आर. 915 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 10 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2015] 2 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2002] 2 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2008] 1 एससीआर 501

पीछा किया।

पै

रा 17

[2017] 7 एससीआर 442

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[2017] 4 एससीआर 833

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

(2020) 4 एससीसी 234

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2012] 12 एससीआर 327

पै

रा 23

पीछा किया।

[2011] 11 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

(2017) 14 एससीसी 225

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2018] 1 एससीआर 915

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8607

2010 से।

उच्च न्यायालय के 28.04.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की अपील सं. 519 में बॉम्बे का।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जयदीप गुप्ता, Sr.Adv। एल. के. भूषण, अनिरुद्ध अरुण कुमार, G.C.Shyam सुंदर, एम/एस। दुआ एसोसिएट्स, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. अपीलार्थी, जिसे विशेष अनुमति दी गई थी, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देता है। यह आग्रह करता है कि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह निष्कर्ष निकालता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 34 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

उस के तहत एक के रूप में परिभाषित एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए बनाए रखा गया अधिनियमन।

तथ्य.

2. अपीलार्थी कंपनी (इसके बाद "एन. वी. इंजीनियरिंग" या "अपीलार्थी") प्रासंगिक समय पर इतालवी कानून के तहत निगमित थी और

सिंथेटिक फाइबर, पॉलिमर और एस्कॉर्बिक एसिड के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना और निर्माण में शामिल। प्रतिवादी (इसके बाद "जिंदल") एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो प्रासंगिक भारतीय कानून के तहत निगमित है। 1994 में जिंदल ने एक कंपनी-इंजीनियरिंग चुर एजी के साथ बातचीत की। सेगेनस्ट्रास 97,701 चुर, स्विट्जरलैंड (इसके बाद, 'एनको') और भारत में एस्कॉर्बिक एसिड संयंत्र स्थापित करने के लिए एनको के साथ चार संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये थेः (i) एसिड संयंत्र के लिए एस्कॉर्बिक के लिए इंजीनियरिंग अनुबंध (ईसीएएपी, या "संयंत्र अनुबंध"); (ii) एस्कॉर्बिक एसिड संयंत्र के लिए आपूर्ति अनुबंध (एससीएएपी या "आपूर्ति अनुबंध"); (iii) सेवा

एस्कॉर्बिक एसिड संयंत्र (एसएएएपी "सेवा अनुबंध") के लिए समझौता; और

(iv) एस्कॉर्बिक एसिड संयंत्र के लिए लाइसेंस समझौता (एल. ए. ए. ए. पी. "लाइसेंस अनुबंध")। 3. संयंत्र अनुबंध के तहत, एनको ने जिंदल को तकनीकी जानकारी और बुनियादी इंजीनियरिंग दस्तावेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

एस्कॉर्बिक एसिड संयंत्र ("संयंत्र") का निर्माण, कमीशन, संचालन और रखरखाव। एनको के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जिंदल को समझौते में दिए गए तरीके से स्विस फ्रैंक 86,00,000/- का कुल शुल्क देना था। ई. सी. ए. ए. पी. के साथ-साथ अन्य तीन समझौतों में

एक मध्यस्थता खंड। मार्च 1995 में, प्रत्यर्थी की सहमति से, एनको ने एन. वी. इंजीनियरिंग को ई. सी. ए. ए. पी. सौंपा। जिंदल के प्रति एनको के सभी दायित्वों को एन. वी. इंजीनियरिंग ने अपने हाथ में ले लिया।

1 अपील संख्या में दिनांकित 28.4.2008 519/2002 नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय के रूप में जाना जाता है)

एम्बीएंट एस. पी. ए.) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इंजीनियरिंग के लिए नामित प्रो. ए. सी. सी. अल्बर्टो सांता मारिया इसके नामांकित व्यक्ति के रूप में। श्री देसाई और प्रो. ए. सी. सी. अल्बर्टो सांता मारिया को मध्यस्थ के रूप में आई. सी. सी. द्वारा पुष्टि की गई थी। श्री रिचर्ड फर्नीहॉफ क्यू. सी. को मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 5. दावों और जवाबी दावों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने 01.02.2000 पर आंशिक निर्णय दिया; उस निर्णय द्वारा, जिंदल के दावों को खारिज कर दिया गया। एन. वी. इंजीनियरिंग को ई. सी. ए. ए. पी. के तहत अपने प्रतिदावे के लिए SFr.44,33,416 (स्विस फ़्रैंक) से सम्मानित किया गया था। न्यायाधिकरण ने तब पक्षों से मध्यस्थता के आई. सी. सी. नियमों के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में ब्याज और लागत पर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आह्वान किया ताकि वह अंतिम निर्णय तैयार कर सके।

6. 20.2.2000 पर जिंदल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की

आंशिक पुरस्कार को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय। याचिका को 01.03.2000 पर अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था और उत्तरदाताओं (ICC और न्यायाधिकरण सहित) को नोटिस जारी किया गया था। उक्त प्रत्यर्थियों को "किसी भी आगे की प्रस्तुतियाँ प्राप्त करने, और/या कोई आगे का निर्देश और/या निर्णय और/या मध्यस्थता कार्यवाही में पुरस्कार पारित करने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी।" यह आदेश समय-समय पर तब तक जारी रहा जब तक कि याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। इस बीच आई. सी. सी. न्यायाधिकरण का विचार था कि अंतरिम आदेश

आई. सी. सी. ने श्री अशोक संचेती को एक प्रतिस्थापन सह-मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया श्री देसाई के स्थान पर, और न्यायाधिकरण ने 22.10.2001 पर अपना अंतिम निर्णय दिया। जब अंतिम पुरस्कार दिया गया, तो आंशिक पुरस्कार के लिए जिंदल की चुनौती,

और अंतरिम आवेदन 3 दोनों उच्च न्यायालय में लंबित थे।

2 मध्यस्थता याचिका सं. 49/2000। 3 नं. 98/2000, अधिनियम की धारा 9 के तहत।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. आंशिक निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका (धारा 34 के तहत) का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित एकल न्यायाधीश के आदेश द्वारा किया गया था।

6.2.20024 , जिसमें कहा गया था कि चूंकि आंशिक पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार था, इसलिए एक याचिका के माध्यम से एक चुनौती अधिनियम की धारा 34 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं थी। जिंदल ने उस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की (इसके बाद "जिंदल की चुनौती अपील")। इस दौरान

अपील के लंबित रहने पर, एन. वी. इंजीनियरिंग ने विदेशी पुरस्कारों से संबंधित अध्याय में अधिनियम की धारा 47 और 48 के तहत दो पुरस्कारों, यानी आंशिक और अंतिम पुरस्कारों को लागू करने के लिए आवेदन किया था। इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और दोनों पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के खिलाफ जिंदल की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। याचिका का फैसला करने वाले एकल न्यायाधीश ने एक फैसले में (जिसे इसके बाद "प्रवर्तन आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है) कहा कि एक्सएच में "दोनों पुरस्कार" दिए गए। ए और बी लागू करने योग्य हैं, एक्श में पुरस्कार के उस हिस्से को छोड़कर। ए जो स्विस के भुगतान का निर्देश देता है

फादर. 1,453,316 "जिंदल द्वारा एन. वी. इंजीनियरिंग को। जिंदल ने एक अपील (इसके बाद "जिंदल की प्रवर्तन अपील") को प्राथमिकता दी और एन. वी. इंजीनियरिंग ने एक क्रॉस अपील दायर की।

8. विवादित निर्णय द्वारा, यहां तक कि बाद की दो अपीलों के रूप में, जो सीधे एक ही विषय वस्तु से निपटती हैं (एक विदेशी को लागू करना)

अंतर्राष्ट्रीय बनाम। बल्क ट्रेडिंग एस. ए. एंड ए. एन. आर. 3 और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और ए. एन. आर. 'इसे धारण करेंगे। विदेशी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही को वैध रूप से बनाए रखा जा सकता है।

पक्षों की दलीलें

9. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए एन. वी. इंजीनियरिंग के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जॉयदीप गुप्ता ने आग्रह किया कि विवादित निर्णय

4 दिनांक 06.02.2002, जिसे अब जिंदल ड्रग्स लिमिटेड बनाम नोय वालेसिना 2002 (2) माह के रूप में रिपोर्ट किया गया है। एलजे 820।

5 अपील सं. 519/2002। 6 नोय वालेसिना बनाम जिंदल ड्रग्स लिमिटेड 2006 (3) Arb.LR 510 (बम)। धारा 47/48 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही को ए. आर. बी. के रूप में पंजीकृत किया गया था। याचिका सं. 156/2005। निर्णय 05.06.2006 पर प्रस्तुत किया गया था। 7 जिंदल की अपील अपील नं. 492/2006 थी। एन. वी. इंजीनियरिंग की अपील अपील थी। नं. 740/2006

8 (2002) 4 एससीसी 105

9 2008 (4) एस. सी. सी. 190 नॉय वैलिज़िना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय एंबिएंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्रभट, जे.]

कानून में असमर्थनीय क्योंकि एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती नहीं दी जा सकती है

अधिनियम की धारा 34 के तहत। यह आग्रह किया गया था कि भाटिया इंटरनेशनल में तीन न्यायाधीशों के फैसले और वेंचर ग्लोबल में बाद में होल्डिंग दोनों को भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक में बड़े, पांच न्यायाधीशों के फैसले में गलत माना गया था।

(" बाल्को "इसके बाद)। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि बाल्को में चेतावनी भी है कि विदेशी पुरस्कारों का एक वर्ग इसकी घोषणा से पहले किया गया था धारा 34 के तहत एक चुनौती की स्थिरता के संबंध में जिंदल के आवश्यक तर्क की सहायता नहीं कर सकते हैं और भाग I के तहत ऐसी चुनौती असमर्थनीय है।

10. श्री गुप्ता ने अपने समर्थन में बड़े पैमाने पर बाल्को पर भरोसा किया

यह तर्क कि इस मामले में विदेशी पुरस्कार, जो आई. सी. सी. के तत्वावधान में भारत के बाहर दिए गए हैं, को केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि अंतर्निहित अनुबंध में एक शर्त यह कहती है कि समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा। बाल्को में निम्नलिखित चर्चा पर जोर दिया गयाः

" 117. अतः यह होगा कि यदि मध्यस्थता

समझौता एक सीट/स्थान प्रदान करने के लिए पाया या आयोजित किया जाता है भारत के बाहर मध्यस्थता, फिर प्रावधान है कि

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा।

कार्यवाही, मध्यस्थता अधिनियम का भाग I नहीं बनाएगी,

1996 भारतीय न्यायालयों को लागू करने या सक्षम बनाने के लिए

मध्यस्थता या पुरस्कार पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र। यह.

इसका मतलब केवल यह होगा कि पार्टियों ने संविदात्मक रूप से आयात किया है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 से, वे प्रावधान जो हैं -

उनके मध्यस्थता के आंतरिक आचरण से संबंधित और जो अनिवार्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं

अंग्रेजी प्रक्रियात्मक कानून/क्यूरियल कानून। यह अनिवार्य रूप से निम्नलिखित है

इस तथ्य से कि भाग I केवल मध्यस्थताओं पर लागू होता है

भारत में उनकी सीट/स्थान।

****

**

*

***

123. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आचरण का विनियमन

मध्यस्थता करनी होगी और किसी पुरस्कार को चुनौती देनी होगी

उस देश की अदालतों द्वारा जिसमें मध्यस्थता की जा रही है

10 सुप्रा एन. 8 1 1 सुप्रा एन। 9 12 2012 (9) एससीसी 552 [2020] 12 एस. सी. आर.

आयोजित किया गया। ऐसी अदालत तब पर्यवेक्षी अदालत होती है जिसके पास पुरस्कार को रद्द करने की शक्ति होती है। यह जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के साथ-साथ UNCITRAL मॉडल लॉ जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की योजना को ध्यान में रखते हुए है। यह उस क्षेत्रीय सिद्धांत को भी मान्यता देता है जो किसी देश के संप्रभु अधिकार को अपने राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से, अपने ही देश में किए जा रहे न्यायिक कर्तव्य को विनियमित करने के लिए प्रभावी बनाता है। एक तुलनात्मक उदाहरण के माध्यम से, हम सी वी में अपील न्यायालय, इंग्लैंड द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं। डी [2008 बस एलआर 843: 2007 ईडब्ल्यूसीए

सी. आई. वी. 1282 (सी. ए.)] जिसमें यह देखा गया है किः

" इससे यह पता चलता है कि मध्यस्थता के लिए सीट का चुनाव

पुरस्कार पर हमला करने की कोशिश करने वाले उपायों के लिए मंच का एक विकल्प होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त मामले में, अपील न्यायालय ने ए वी में की गई टिप्पणियों को मंजूरी दी थी। बी [(2007) 1 ऑल ईआर (कॉम) 591: (2007) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 237] जिसमें यह देखा गया है किः

..... मध्यस्थता के स्थान के बारे में एक समझौता है

एक अनन्य अधिकारिता खंड के अनुरूप। कोई भी दावा

किसी उपचार के लिए. किसी मौजूदा अंतरिम की वैधता के बारे में या अंतिम पुरस्कार केवल अदालतों में दिए जाने पर सहमति है

मध्यस्थता के स्थान के रूप में नामित स्थान।

(जोर दिया गया)

*

**

**

133. पार्टी जो प्रवर्तन का विरोध करना चाहती है

धारा 48 (1) और (2) और/या उप-धारा (2) का स्पष्टीकरण। हालाँकि, इन कार्यवाहियों में हम केवल उन देशों की व्याख्या से संबंधित हैं जहाँ पुरस्कार दिया जाता है। "और" जिसके कानून के तहत पुरस्कार दिया गया था "। प्रावधान न्यूयॉर्क के अनुच्छेद V (1) (e) के अनुरूप हैं।

कन्वेंशन, जो निम्नानुसार हैः

" V (1) पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन हो सकता हैः

अस्वीकार कर दिया गया, उस पक्ष के अनुरोध पर जिसके खिलाफ वह है

लागू किया जाता है, केवल तभी जब वह पक्ष सक्षम नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग एसपीए, (अब नॉय बायेंट एसपीए के रूप में जाना जाता है) को प्रस्तुत करता है। जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्राधिकरण जहाँ मान्यता और प्रवर्तन की मांग की जाती है,

इसका प्रमाण दें कि

(ए)-(डी) * * *

देश का प्राधिकरण जिसमें, या कानून के तहत जो , वह पुरस्कार दिया गया था।

(2) मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन हो सकता है

यदि देश में सक्षम प्राधिकारी को भी अस्वीकार कर दिया जाए

(a) विषय-अंतर का विषय सक्षम नहीं है उस देश के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा समझौता; या

(ख) पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन होगा

उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत।

****

****

******

135. इस प्रकार, विधानमंडल का इरादा स्पष्ट है कि

न्यायालय धारा 48 (1) में उल्लिखित किसी भी आधार के संतोषजनक प्रमाण पर विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर सकता है।

पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने वाली पार्टी। यह प्रावधान विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए पार्टी के लिए खुले बचाव को निर्धारित करता है। धारा 48 (1) के खंड (ई) में "अलग या निलंबित" शब्दों की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि आवश्यक निहितार्थ से, भारत में लागू किए जाने के लिए मांगे गए विदेशी पुरस्कार को भी भारतीय अदालतों में गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह प्रावधान केवल यह मानता है कि दोनों की अदालतें

ऐसे राष्ट्र जो किसी पुरस्कार को रद्द करने या निलंबित करने में सक्षम हैं। यह वास्तव में देश के बाहर दिए गए पुरस्कार को रद्द करने के लिए ऐसी अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इस तरह

क्षेत्राधिकार विशेष रूप से उस देश के प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून में प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें संबंधित न्यायालय स्थित है। जहाँ तक भारत का संबंध है,

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ऐसी कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करता है।

एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन को रद्द करने के लिए भारतीय अदालतों पर

भारत के बाहर दिया गया पुरस्कार। ऐसा प्रावधान धारा 34 में मौजूद है, जिसे भाग I में रखा गया है। इसलिए, यह प्रावधान भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों तक ही सीमित है।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के तर्क हैं -

स्वीकार किए जाने पर, यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में निहित प्रावधान को शामिल करेगा, जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I में उक्त अधिनियम के भाग II में रखा गया है। इसकी अनुमति नहीं है क्योंकि संसद की मंशा थी स्पष्ट रूप से भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित निर्णय को दरकिनार करने के लिए भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को सीमित करना।

****

**

******

******

134. न्यूयॉर्क कन्वेंशन के उपरोक्त अनुच्छेद को शारीरिक रूप से हटा दिया गया है और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में धारा 48 के रूप में शामिल किया गया है।

******

****

**

151.रेडफर्न एंड हंटर [ब्लैकबी, पार्टासाइड्स, रेडफर्न एंड हंटर (एड.)], रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल

मध्यस्थता (5 वीं संस्करण। , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यू यॉर्क

यॉर्क 2009)।] पैरा 11.96 में कहा गया है कि जो न्यायालय किसी पुरस्कार को बनाए रखने या अलग रखने के लिए सक्षम है, वह न्यायालय है

"वैकल्पिक एक" या "वैकल्पिक दो" में देश। हालांकि, लेखकों ने आगे कहा कि "यह न्यायालय लगभग हमेशा मध्यस्थता के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायालय होगा"। वे इंगित करते हैं कि एक पुरस्कार की संभावना को अलग रखा जा रहा है

मध्यस्थता के स्थान पर इसके अलावा किसी राज्य की प्रक्रियात्मक विधि की संभावना नहीं है। वे बताते हैं कि अमेरिकी जिले को मनाने के लिए एक सरल (लेकिन असफल) प्रयास किया गया था अदालत ने मेक्सिको में दिए गए एक पुरस्कार को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि जिस कानून के तहत वह पुरस्कार दिया गया था, उसका संदर्भ विवाद को नियंत्रित करने वाले कानून का था, न कि प्रक्रियात्मक कानून (पैरा 11.96) का। विद्वान लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय मानक विद्युत निगम का संदर्भ दिया था। (यू. एस.) वी. ब्राइडास सोसिडाड एनोनिमा पेट्रोलेरा (अर्जेंटीना) [(1992) 7 Ybk Com Arb639]। न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:

" समझौते के तहत विदेशी अदालतों के निर्णय

समान रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करें कि विचाराधीन खंड

इसका अर्थ है प्रक्रियात्मक और मूल नहीं (अर्थात, अधिकांश में)

मामले, अनुबंध कानून)।

वाई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब एन. टी. ई. एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद में विवादित भाषा

कन्वेंशन का वी (1) (ई) विशेष रूप से संदर्भित करता है -

प्रक्रियात्मक और मूल कानून नहीं, और अधिक सटीक रूप से

मध्यस्थ प्रक्रियात्मक कानून की व्यवस्था या योजना जिसे मध्यस्थता आयोजित की गई थी। "

52. न्यूयॉर्क समझौते के तहत सही स्थिति है

गैरी बी. बोर्न द्वारा बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से वर्णित

ओके इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (क्लूवर लॉ)

टेरनेशनल, वॉल्यूम। 1) , च. एक्स, पी। 1260 इस प्रकार हैः

" यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थता प्रक्रिया, क्योंकि यह काफी हद तक सीमा को प्रतिबंधित करती है

मध्यस्थ पीठ की अदालतें (यानी वह राज्य जहाँ पुरस्कार दिया जाता है) राज्य बनाया गया है या जिसके द्वारा प्रक्रियात्मक कानून का चयन किया जाता है

मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले पक्ष)। ऐसा करते हुए,

या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की देखरेख करना मध्यस्थताएँ।

उसी समय, न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी अनुमति देता है

मध्यस्थ पीठ के न्यायालयों के संबंध में व्यापक शक्तियाँ स्थानीय स्तर पर दिए गए मध्यस्थता पुरस्कारों को रद्द करना। सम्मेलन

आम तौर पर मध्यस्थता सीट की अदालतों को रद्द करने की अनुमति देता है

स्थानीय के तहत उपलब्ध किसी भी आधार पर एक मध्यस्थता पुरस्कार

कानून, गैर-मान्यता के आधार को सीमित करते हुए

मध्यस्थता सीट के बाहर की अदालतों में कन्वेंशन पुरस्कार

जो कन्वेंशन के अनुच्छेद V में निर्दिष्ट हैं। इसमें यह

मध्यस्थ पीठ के न्यायालयों को अनुमति देने का प्रभाव

अन्य राज्यों के न्यायालयों की तुलना में काफी अधिक दायरा

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के आचरण या परिणाम को प्रभावित करना।

निरस्तीकरण के माध्यम से मध्यस्थता क्रियाएँ। अनुच्छेद 2 के अन्य प्रावधानों के साथ

और वी, रद्द करने वाले प्राधिकरण का यह आवंटन पुष्टि करता है

(निरंतर) में मध्यस्थता सीट का विशेष महत्व

न्यूयॉर्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया

सम्मेलन "।

(जोर दिया गया)

153. हमारी राय में, उपरोक्त सही तरीका है

अभिव्यक्तियों की व्याख्या करें "वह देश जहाँ पुरस्कार दिया गया था" और "वह देश जिसके कानून के तहत पुरस्कार दिया गया था"।

हम श्री सुंदरम की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

यह प्रावधान दोनों मंचों में समवर्ती अधिकारिता प्रदान करता है।

" दूसरा विकल्प "केवल विफलता पर उपलब्ध है

" पहला विकल्प "। कानून के तहत अभिव्यक्ति है

केवल देश के प्रक्रियात्मक कानून/क्यूरियल कानून का संदर्भ

जिसमें पुरस्कार दिया गया था और जिसके कानून के तहत

पुरस्कार दिया गया। इसका मूल कानून का कोई संदर्भ नहीं है

पक्षों के बीच अनुबंध। इस मामले को देखते हुए,

प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील।

***

******

**

154. इस स्तर पर, हम देख सकते हैं कि उपरोक्त के बावजूद

अनुच्छेद के दूसरे अंग की अंतर्राष्ट्रीय समझ

वी (1) (ई), यह न्यायालय कई अवसरों पर आगे बढ़ा है।

उनके विवाद के सार को नियंत्रित करने के लिए कानून। उपरोक्त भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 में विचार व्यक्त किया गया है।

एस. सी. सी. 105] और वेंचर ग्लोबल इंग। [(2008) 4 एससीसी 190] में

हमारी राय, इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करना होगा

न्यूयॉर्क कन्वेंशन की अंतर्निहित भावना को नजरअंदाज करें जो

सहमति को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक आम सहमति का प्रतीक है जटिल, जटिल और कई मामलों में बहुत समाधान

संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद। इसलिए,

स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय न्यायालयों का भी यही दृष्टिकोण प्रतीत होता है। दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में। कारणों से

ऊपर बताए गए, हम भी निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हैं

वेंचर ग्लोबल इंग में इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित। [(2008) 4 एससीसी

190] कि विदेशी पुरस्कार को विशेष पर रद्द किया जा सकता है

इस आधार पर कि भारतीय कानून के सार को नियंत्रित करता है

विवाद। इस तरह की राय विशाल निकाय द्वारा नहीं ली जाती है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्राधिकारों में न्यायिक उदाहरण। ”

11. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि बाल्को, एक पाँच न्यायाधीशों का निर्णय, स्पष्ट रूप से

इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मध्यस्थता का स्थान भी इंगित करता है कि

ई मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून का।

विद्वान सलाहकार ने नोई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नोई एंबिएंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. पर भरोसा किया। जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्रभट, जे.]

बड़ी पीठ की टिप्पणियों पर, और "शाशोआ सिद्धांत" पर इसका जोर। यह तर्क दिया गया था कि उस सिद्धांत के अनुसार, मध्यस्थता की "सीट" का पदनाम इसके साथ "एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के समान कुछ" ले जाएगा। संदर्भित विद्वान सलाहकार

प्रत्येक अनुबंध में समान शर्तें, वर्तमान मामले में, जो स्पष्ट रूप से

उन्होंने कहा कि मध्यस्थता "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, पेरिस के सुलह और मध्यस्थता नियमों के तहत होगी और मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और लंदन में होगी।" इसलिए एन. वी. इंजीनियरिंग ने तर्क दिया कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए पक्षों का इरादा यह था कि मध्यस्थता सीट के कानून, यानी यू. के. के कानून द्वारा शासित थी। इसलिए, विवादित निर्णय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असमर्थनीय थे।

12. अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भारत संघ बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 4 हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता गोल इंडिया

लिमिटेड 1 5 और रोजर शसौआ बनाम मुकेश शर्मा ने अब यह स्थापित किया है कि बाल्को से पहले के पुरस्कारों में ऐसे समझौते शामिल हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि न्यायिक स्थान भारत में है, और जो यह निर्धारित करते हैं या पढ़ा जा सकता है कि मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा, बाल्को द्वारा शासित नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामले जहां न्यायिक सीट भारत में नहीं है, या मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून नहीं है, वे बाल्को द्वारा बाध्य होंगे। इसलिए, विवादित निर्णय, जो इसके विपरीत था, को कायम नहीं रखा जा सकता है।

13. अपीलार्थी ने अंत में अधिनियम की धारा 50 पर भरोसा किया और तर्क दिया कि आदेश में कहा गया है कि धारा 34 के तहत याचिका नहीं थी

रखरखाव योग्य अपील योग्य नहीं था। विद्वान वकील ने फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम पर भी भरोसा किया। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड "इस संदर्भ में।

14. जिंदल के वरिष्ठ वकील श्री जय साल्वा ने कहा कि विवादित फैसला अनुचित है और इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

हस्तक्षेप किया। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 34 धारा 48 से अलग क्षेत्र में काम करती है। उत्तरार्द्ध एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को सक्षम बनाता है,

और अदालत केवल प्रवर्तन से इनकार कर सकती है, जबकि धारा 34 के तहत, एक पुरस्कार की वैधता पर गौर किया जा सकता है और अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है

13 रोजर शाशोआ बनाम मुकेश शर्मा 2009 ईडब्ल्यूएचसी 957 (कॉम) में बताए गए नियम पर आधारित शब्द

14 2015 (10) एससीसी213

15 2015 (9) एस. सी. सी 172 16 2017 (14) एस. सी. सी. 722

15. विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के इस तर्क का विरोध किया कि बाल्को में निर्णय वर्तमान मामले में विवाद को नियंत्रित करेगा। वह. बाल्को में टिप्पणियों पर भरोसा किया कि मध्यस्थता समझौते हुए

निर्णय लेने से पहले और उनके अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद बाल्को से पहले के नियमों से बंधे रहेंगे। चूंकि, इस मामले में, समझौते किए गए थे, और पुरस्कार भी भाटिया 20 सिद्धांत के प्रचलन के दौरान दिए गए थे, इसलिए बाल्को में बाद का निर्णय या बाद का कोई निर्णय लागू नहीं हो सका।

16. विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि ई. सी. ए. ए. पी. (संयंत्र अनुबंध) ने कहा कि मध्यस्थता लंदन में आई. सी. सी. के तहत होनी थी। खंड 12.4। 1 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुबंध भारतीय कानून द्वारा शासित होगा, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पक्षों का इरादा था कि मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून भी भारतीय कानून था। इसलिए, बाल्को में अनुपात की प्रयोज्यता का कोई सवाल ही नहीं है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

घरेलू पुरस्कारों (भाग I द्वारा शामिल) और विदेशी पुरस्कारों के बीच (भाग II द्वारा कवर किया गया)। इस समझ को बाल्को में फिर से देखा गया जहां इस अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 75. हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता को मध्यस्थता की गंभीरता का केंद्र नहीं बनाता है। इसके विपरीत, अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अधिकांश राष्ट्रीय कानूनों में, मध्यस्थता मध्यस्थता की सीट/स्थान/स्थान पर लंगर डाला गया। पैरा 3.54 में रेडफर्न ने निष्कर्ष निकाला है कि 'इस प्रकार मध्यस्थता का स्थान इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए।' [ब्लैकबी, पार्टासाइड्स, रेडफर्न

18 सुप्रा एन. 8 19 सुप्रा एन. 9

20 सुप्रा एन. 8 21 सुप्रा एन. 8

22 सुप्रा एन.

9 नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय बियेंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

और हंटर (एड.), रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (5 वीं एड., ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यूयॉर्क 2009)] हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सभी कार्यवाही मध्यस्थता के स्थान पर होनी चाहिए। मध्यस्थ कभी-कभी अधिक सुविधाजनक स्थानों पर बैठकें आयोजित करते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि मध्यस्थ अक्सर अलग-अलग देशों से आते हैं। इसलिए, अवसरों पर कुछ बैठकों को किसी ऐसे स्थान पर आयोजित करना सुविधाजनक हो सकता है जो सभी के लिए सुविधाजनक हो। इस तरह की स्थिति की जांच इंग्लैंड में अपील न्यायालय द्वारा नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एसए बनाम में की गई थी। कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू [नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एसए वी। कम्पानिया

इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सीए)] जिसमें पी। 121 यह निम्नलिखित रूप में देखा जाता हैः

' पूर्ववर्ती चर्चा इस आधार पर हुई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही स्थान है। यह पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से चुना गया स्थान होगा और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवाही के कार्यवृत्त में या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या "स्थान" के रूप में नामित किया जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर लोग शामिल होते हैं।

कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से, कई अलग-अलग

देशों। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बैठकें या सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है

—मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर, या तो अपनी सुविधा के लिए या पक्षों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए। एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है-उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान बदल जाता है। मध्यस्थता का स्थान प्रारंभिक रूप से या उसकी ओर से सहमत स्थान बना हुआ है।

पार्टियाँ।

76. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस सीट या स्थान का कानून जहां मध्यस्थता आयोजित की जाती है, आम तौर पर [2020] 12 एस. सी. आर. को नियंत्रित करने वाला कानून है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह मध्यस्थता। के स्थान के बीच क्षेत्रीय संबंध

मध्यस्थता और उस मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून ठीक है।

अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में स्थापित, अर्थात्, नए 1958 का यॉर्क कन्वेंशन और 1985 का UNCITRAL मॉडल लॉ।

यह सच है कि "आसन" और "स्थान" शब्दों का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल मध्यस्थता [ब्लैकबी, पार्टासाइड्स, रेडफर्न एंड हंटर (एड.), रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (5 वां)

एडन। , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यूयॉर्क 2009)] (पैरा

3.51) , सीट सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः ' अवधारणा यह है कि मध्यस्थता उस स्थान के कानून द्वारा शासित होती है जिसमें यह है

आयोजित, जो "सीट" (या "फोरम" या लोकस आर्बिट्री) है

मध्यस्थता, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में अच्छी तरह से स्थापित है

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। वास्तव में, जिनेवा प्रोटोकॉल, 1923 में कहा गया है

**

*****

*****

*

95. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि धारा 45 और धारा 48 (1) (ई) के साथ पठित धारा 2 (1) (ई), धारा 20 और धारा 28 यह स्पष्ट करती है कि भाग I केवल भारत में होने वाले मध्यस्थताओं तक ही सीमित नहीं है।

इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996

यह विषय-वस्तु केंद्रित है और विशेष रूप से आसन केंद्रित नहीं है। इसलिए, "सीट" जहां तक "गुरुत्वाकर्षण का केंद्र" नहीं है मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का संबंध है। हमारा मानना है कि उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए।

क्षेत्रीयता के सिद्धांत को सबसे आगे रखते हुए। हम पहले देख चुके हैं कि धारा 2 (2) भाग I को भारत के बाहर बैठे या आयोजित मध्यस्थताओं पर लागू नहीं करती है। में।

धारा 2 (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण, मैक्सिम एक्सप्रेसमफैसिटेसेटासिटम, इसकी अनुमति नहीं देगा यह अभिनिर्धारित करने के लिए व्याख्या कि भाग I भारत के क्षेत्र के बाहर आयोजित मध्यस्थताओं पर भी लागू होगा। अभिव्यक्ति

" यह भाग वहाँ लागू होगा जहाँ मध्यस्थता का स्थान है।

भारत "अनिवार्य रूप से भारत के बाहर स्थित या आयोजित मध्यस्थता के लिए भाग I के आवेदन को बाहर करता है। हमें ऐसा लगता है कि

विद्वान वकील द्वारा निर्भर किए गए प्रावधानों में से कोई भी नहीं

क्योंकि अपीलार्थी भाग I के किसी भी खंड को नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग एसपीए, (अब नॉय बायेंट एस. पी. ए. के रूप में ज्ञात) V. लागू करेंगे। जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भारत के बाहर स्थित मध्यस्थता के लिए। यह अब उपयुक्त होगा कि

उपर्युक्त प्रावधानों में से प्रत्येक पर बारी-बारी से विचार करें।

96. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) निम्नानुसार हैः

**

****

**

******

हमारी राय है, "विषय-वस्तु" शब्द

मध्यस्थता को "वाद के विषय" के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। धारा 2 (1) (ई) में "विषय-वस्तु" शब्द भाग I तक ही सीमित है। इसका प्रक्रिया के साथ एक संदर्भ और संबंध है।

विवाद समाधान। इसका उद्देश्य अदालतों की पहचान करना है।

मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण होना। इसलिए, यह एक ऐसे न्यायालय को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया के केंद्र का न्यायालय होगा। हमारी राय में, धारा 2 (1) (ई) के प्रावधान का अर्थ धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए जो इन्हें मान्यता देते हैं - पार्टी की स्वायत्तता। संकीर्ण संरचना को स्वीकार करना

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तावित, वास्तव में, धारा 20 को निरर्थक बना देगा। हमारे विचार में, विधायिका ने जानबूझकर दो न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र दिया है अर्थात वह न्यायालय जिसके पास अधिकार क्षेत्र होगा जहां कार्रवाई का कारण स्थित है और वे न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है। यह आवश्यक था क्योंकि कई अवसरों पर समझौता किसी ऐसे स्थान पर मध्यस्थता का स्थान प्रदान कर सकता है जो

दोनों पक्षों के लिए तटस्थ। इसलिए, जिन न्यायालयों में मध्यस्थता होती है, उन्हें इसका प्रयोग करना आवश्यक होगा

मध्यस्थ प्रक्रिया पर पर्यवेक्षी नियंत्रण। उदाहरण के लिए, यदि मध्यस्थता दिल्ली में आयोजित की जाती है, जहां कोई भी पक्ष दिल्ली से नहीं है, (दिल्ली को एक तटस्थ स्थान के रूप में चुना गया है)

मुंबई से एक पार्टी और कोलकाता से दूसरी पार्टी के बीच)

और दिल्ली में बैठे न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपील की गई। धारा 37 के तहत ऐसा अंतरिम आदेश दिल्ली के न्यायालयों के लिए होना चाहिए, जो मध्यस्थता कार्यवाही और न्यायाधिकरण पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय हैं। यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि दायित्वों का पालन किया जाना है

अनुबंध के तहत या तो मुंबई या कोलकाता में प्रदर्शन किया जाना था, और केवल दिल्ली में मध्यस्थता होनी थी। में।

ऐसी परिस्थितियों में, दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र [2020] 12 एस. सी. आर. होगा।

अर्थात् वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद का विषय स्थित है और न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में हैं जिसका विवाद समाधान अर्थात मध्यस्थता स्थित है।

***

98. अब हम धारा 20 पर आते हैं, जो इस प्रकार हैः

******

*

*

******

धारा 20 का एक सादा अध्ययन संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

कि जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है, पक्ष भारत के भीतर किसी भी "स्थान" या "सीट" के लिए सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, आदि। पक्षों के समझौते के अभाव में

अतः धारा 20 (2) न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है कि

इस तरह के मध्यस्थता का स्थान/स्थान। धारा 20 (3) न्यायाधिकरण को किसी भी स्थान पर सुनवाई करने के लिए बैठक करने में सक्षम बनाती है।

गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श जैसे मामलों में सुविधा का स्थान।

धारा 2 (2), जो इस पर एक सीमा निर्धारित करती है भाग I की प्रयोज्यता, जहाँ मध्यस्थता का स्थान है

भारत। इसलिए, धारा 20 भी इसका समर्थन नहीं करेगी जहाँ तक विशुद्ध रूप से घरेलू मध्यस्थता का संबंध है, भाग I की अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रयोज्यता को प्रस्तुत करना, जैसा कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचार किया गया है।

केवल तभी जब पक्षों की सहमति का अर्थ लगाया जाता है -

मध्यस्थता की "सीट"/"स्थान" भारत में होने का प्रावधान करें।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग 1 लागू होगा। अगर

— समझौता बाहर "सीट"/"स्थान" प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है

भारत, भाग I उस हद तक लागू नहीं होगा जो सीट के मध्यस्थता कानून के साथ असंगत है, भले ही समझौता

यह प्रावधान करना अभिप्रेत है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा।

****

******

****

110. मामले में तथ्य स्थिति की जांच करते हुए, न्यायालय ने

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः (शाशोआ मामला [2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957

(कॉम)])

वाई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब एन. टी. ई. एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" अदालत द्वारा मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा के अनुदान का आधार

जिस प्रकार की मांग की गई है, वह सीट पर निर्भर करता है

मध्यस्थता। मध्यस्थता के स्थान के बारे में एक समझौता

उस देश के कानून को क्यूरियल कानून के रूप में लाया गया और

यह एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के अनुरूप था। सिर्फ इतना ही नहीं

क्या सीट के क्यूरियल कानून के लिए सहमति थी, लेकिन यह भी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार वाली सीट की अदालतों में

मध्यस्थता पर, ताकि, सीट के लिए सहमत होकर,

पक्ष इस बात पर सहमत थे कि अंतरिम या अंतिम के लिए कोई भी चुनौती

पुरस्कार केवल उस स्थान की अदालतों में दिया जाना था

मध्यस्थता के स्थान के रूप में नामित। हालांकि, 'स्थान' 'सीट' का पर्याय नहीं था, एक में

मध्यस्थता खंड जो मध्यस्थता के लिए उपबंध करता है

पेरिस में आई. सी. सी. के नियमों के अनुसार आयोजित

मध्यस्थता लंदन, यूनाइटेड किंगडम में होगी। एक न्यायिक सीट के पदनाम के लिए राशि।

पैरा 54, इसे आगे इस प्रकार देखा जाता हैः (शाशोआ

09 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कॉम)])

" मुद्दों की संभावना के बारे में थोड़ी बहस हुई

दावेदारों द्वारा कथित प्रस्तुतिकरण के संबंध में

दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र द्वारा सुनवाई की जा रही है

कि न्यायालय, क्योंकि यह इस तरह का निर्धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त था

भारतीय कानून के तहत मुद्दे। जब मुझे यह विचार मिला

शुरू में आकर्षक, हम आश्वस्त हैं कि यह गलत होगा सिद्धांत रूप में इसकी अनुमति देने के लिए और यह कि यह अनुचित पैदा करेगा

किसी भी स्थिति में व्यावहारिक समस्याएं। जिसके आधार पर मैं

पहले ही तय कर चुके हैं, इंग्लैंड मध्यस्थता का केंद्र है

और चूंकि यह अपने साथ एक विशेष के समान कुछ ले जाता है

अधिकारिता खंड, सिद्धांत के रूप में विदेशी

अदालत को उन मामलों का फैसला नहीं करना चाहिए जो इस अदालत के लिए हैं

मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा के संदर्भ में निर्णय लेना।

(जोर दिया गया)

शाशोआ में उपरोक्त टिप्पणियाँ करने में मामला [2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम)], अदालत ने इस पर भरोसा किया

सी वी में अपील न्यायालय के निर्णय। डी [2008 बस एलआर

843 : 2007 EWCA Civ 1282 (CA)]।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

111. सी वी में। डी [2008 बस एलआर 843: 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282 (सी. ए.)] इंग्लैंड में अपील न्यायालय एक अपील की जांच कर रहा था

कुक, जे. के निर्णय से प्रतिवादी बीमाकर्ता ने अमेरिकी अदालतों में मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने से रोकने के लिए एक मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा प्रदान की। बीमा पॉलिसी ने प्रावधान किया कि "इस पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का अंत में और पूरी तरह से लंदन, इंग्लैंड में अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा।" हालाँकि, यह आगे प्रावधान किया गया था कि "इस नीति को न्यूयॉर्क राज्य के आंतरिक कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।" (बस एल. आर. पी. 847, पैरा 2)। दावेदारों के पक्ष में एक आंशिक पुरस्कार दिया गया था। इस बात पर सहमति बनी कि आंशिक पुरस्कार, अंग्रेजी कानून के संदर्भ में, अंतिम है कि यह क्या तय करता है। प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण से अपने निष्कर्षों को वापस लेने की मांग की। प्रतिवादी ने मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले अमेरिकी संघीय मध्यस्थता कानून को लागू करने वाले संघीय न्यायालय में आवेदन करने के अपने इरादे को भी सूचित किया, जिसके बारे में कहा गया था कि वह एक ऐसे पुरस्कार की "रिक्तता" की अनुमति देता है जहां मध्यस्थों ने स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना की है। इस तरह की सूचना के परिणामस्वरूप दावेदार ने एक अंतरिम मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा की मांग की और उसे प्राप्त किया। न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि आंशिक पुरस्कार पर हमला करने या उसे दरकिनार करने की कोई भी कार्यवाही केवल अंग्रेजी कानून द्वारा अनुमत होगी। इसलिए, प्रतिवादी के लिए आंशिक पुरस्कार पर हमला करने के लिए न्यूयॉर्क या कहीं और कोई कार्यवाही करने की अनुमति नहीं थी। न्यायाधीश ने इन तर्कों को इस प्रभाव से खारिज कर दिया कि न्यूयॉर्क के कानून का चयन न्यूयॉर्क के उचित कानून के रूप में किया गया है।

अनुबंध एक समझौते के बराबर था कि इंग्लैंड का कानून निर्णय के बाद की कार्यवाही पर लागू नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश ने एक और तर्क को भी खारिज कर दिया कि नीति की शर्त V (o) में निहित मध्यस्थता के लिए अलग समझौता स्वयं था।

न्यूयॉर्क कानून द्वारा शासित ताकि न्यूयॉर्क में कार्यवाही शुरू की जा सके। न्यायाधीश ने दावेदार को अंतिम मंजूरी दे दी

निषेधाज्ञा।

******

*

******

116. सभी निर्णयों के संबंध में जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह प्रतीत होती है कि मध्यस्थता के केंद्र के रूप में किसी अन्य देश का चयन अनिवार्य रूप से एक स्वीकृति का आयात करता है, (अब नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग एसपीए के रूप में जाना जाता है) v.

कि मध्यस्थता के संचालन और पर्यवेक्षण से संबंधित उस देश का कानून कार्यवाही पर लागू होगा।

117. अतः यह माना जाएगा कि यदि मध्यस्थता समझौता भारत के बाहर मध्यस्थता के स्थान के लिए पाया जाता है या आयोजित किया जाता है, तो यह प्रावधान कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू नहीं करेगा या भारतीय न्यायालयों को मध्यस्थता या पुरस्कार पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम नहीं बनाएगा। इसका केवल यह अर्थ होगा कि पक्षों ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 से संविदात्मक रूप से उन प्रावधानों को आयात किया है जो उनके मध्यस्थता के आंतरिक आचरण से संबंधित हैं और जो अंग्रेजी प्रक्रियात्मक कानून/क्यूरियल कानून के अनिवार्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह अनिवार्य रूप से इस तथ्य से मिलता है कि भाग I केवल उन मध्यस्थताओं पर लागू होता है जिनका स्थान भारत में है।

बाल्को में अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किए गए थेः

" 194. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996

क्षेत्रीयता सिद्धांत को स्वीकार किया जो किया गया है

UNCITRAL मॉडल कानून में अपनाया गया। धारा 2 (2) एक घोषणा करती है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I भारत के भीतर होने वाले सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है। हमारी यह सुविचारित राय है कि मध्यस्थता का भाग I

अधिनियम, 1996 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

भारत के बाहर आयोजित वाणिज्यिक मध्यस्थता। इसलिए, ऐसे पुरस्कार केवल भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जब उन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग II में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में लागू करने की मांग की जाती है। हमारी राय में,

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधान इसे बनाते हैं

क्रिस्टल स्पष्ट है कि कोई अतिव्यापी नहीं हो सकता है या मध्यस्थता ए के भाग II में निहित प्रावधानों के साथ भाग I में निहित प्रावधानों का मिश्रण

1996. "

18. शासन करने वाले कानून के संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में शाशोआ सिद्धांत का बार-बार पालन किया गया है। "सीट" के कानून के रूप में सीट जहां मध्यस्थता [2020] 12 एस. सी. आर. थी।

एल्ड। 23 रिलायंस 24 में इस अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया, नीचे दिए गए शब्दः

" 18. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाटिया के पैरा 32 में

अंतर्राष्ट्रीय [भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए.,

(2002) 4 एस. सी. सी. 105] स्वयं इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होगा यदि यह किया गया है

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बहिष्कृत।

इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भाग I

आवश्यक निहितार्थ द्वारा बहिष्कृत यदि यह पाया जाता है कि

एक मामले के तथ्य या तो मध्यस्थता का न्यायिक स्थान है

भारत के बाहर या मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून

समझौता भारतीय कानून के अलावा एक अन्य कानून है। यह अब ठीक है

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(2011) 6 एससीसी 161: (2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 257], डोज़को इंडिया (पी) लिमिटेड v. डूसन इन्फ्राकोर कं. लिमिटेड [(2011) 6 एस. सी. सी.179: (2011) 3 एससीसी (सी. आई. वी.)

276] , योगराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम सांग योंग एंग। और

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [(2011) 9 एस. सी. सी. 735: (2011) 4 एससीसी

(सी. आई. वी.) 864], इस मामले में उसी फैसले की सूचना दी गई

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ [रिलायंस]

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603:

(2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 737] और सद्भाव में एक हालिया निर्णय

इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड v. गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड [(2015)

9 एससीसी 172: (2015) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 341]

19. वास्तव में, सद्भाव मामले में [(2015) 9 एस. सी. सी. 172: (2015)

उपरोक्त निर्णयों में मध्यस्थता खंड निर्धारित किया गया है कि पैरा 36 में मामला इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 193)

" 36. द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय, हमें अवधि को स्कैन करने की आवश्यकता है समझौते में खंड विशेष रूप से, मध्यस्थता

उचित परिप्रेक्ष्य में खंड। उक्त खंड में लिखा है -

इस प्रकार हैः

आर. टी., इस मामले के तथ्यों में, यह राय है कि "स्थान" जो सुविधा का विषय है, और एन अभिव्यक्ति जिसके इरादे के संबंध में निश्चित कानूनी अर्थ हैं, के बीच के अंतर को समझाना अनिवार्य है।

14 वाई वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब एन. टी. ई. एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

5. यदि कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होना चाहिए

आवेदन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक नियुक्त किया जाना है यहाँ, इस प्रकार चुने गए दोनों द्वारा तीसरा, और उनके

निर्णय या उनमें से किसी दो का निर्णय अंतिम होगा।

और बाध्यकारी, और यह समझौता लागू करने के लिए हो सकता है

उसी तरह, अदालत का नियम बनाया जाए। तीन दलों ने कहा

वाणिज्यिक पुरुष होने के लिए जो सदस्य हैं

लंदन आर्बिट्रेटर एसोसिएशन। यह अनुबंध है -

अंग्रेजी कानून के अनुसार शासित और समझा जाए।

विवादों के लिए जहां दोनों में से किसी एक द्वारा दावा की गई कुल राशि

पक्ष 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक मध्यस्थता नहीं करता है।

छोटे दावों के अनुसार किया जाना चाहिए

लंदन समुद्री मध्यस्थता की प्रक्रिया

एसोसिएशन '।

फिर आयोजित किया गयाः (एससीसी पीपी। 198 & 200 , पैरा 45 & 50-51)

" 45. वर्तमान मध्यस्थता की शर्तों पर आते हुए

खंड, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि यदि कोई विवाद या मतभेद है

चार्टर के तहत उत्पन्न होगा, लंदन में मध्यस्थता

लागू करें; कि मध्यस्थ वाणिज्यिक पुरुष होने चाहिए जो लंदन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन के सदस्य हैं;

और यह कि मध्यस्थता का संचालन किया जाना चाहिए, यदि दावा कम राशि के लिए, छोटे दावों के अनुसार

लंदन मैरीटाइम आर्बिट्रेशन एसोसिएशन की प्रक्रिया।

समझौते में कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि कोई अन्य

कानून मध्यस्थता खंड को नियंत्रित करेगा।

***

**

*

***

***

" 50. इस प्रकार, प्रश्नगत खंड की व्याख्या करते हुए

उपरोक्त सिद्धांतों का आधार यह स्पष्ट है कि

इच्छित प्रभाव में मध्यस्थता का स्थान होना है

लंदन। वाणिज्यिक पृष्ठभूमि, संदर्भ

अनुबंध और पक्षों की परिस्थितियाँ और

जिस पृष्ठभूमि में अनुबंध किया गया था,

अप्रत्याशित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ें। हम प्रभावित नहीं हैं। इस निवेदन द्वारा कि इस तरह की व्याख्या द्वारा यह रखा जाएगा

एक लाभप्रद स्थिति में प्रतिवादी।

हम समझते हैं कि इस खंड की व्याख्या करना उचित होगा कि यह एक उचित खंड या सारभूत खंड है न कि एक संक्षिप्त या प्रक्रियात्मक जिसके द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही की जानी है और इसलिए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि मध्यस्थता का स्थान होगा

लंदन। 51. यह कहने के बाद कि निहित बहिष्करण सिद्धांत भाटिया इंटरनेशनल [भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105] लागू होगा, जिसमें खंड को ध्यान में रखा गया है

समझौता, किसी के लिए परिशिष्ट से संबंधित उठाए गए विवाद पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है

उक्त दस्तावेज़ पर दी गई व्याख्या नहीं होगी

इस अंतिम निष्कर्ष पर कोई फर्क करें कि हम

पहले ही पहुँच चुके हैं। "

निहितार्थ, भाटिया इंटरनेशनल का अनुपात [भाटिया] अंतर्राष्ट्रीय बनाम। थोक व्यापार एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105] लागू नहीं होगा।

21. बाल्को का अंतिम अनुच्छेद [बाल्को v. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] निर्णय को अब दो के साथ पढ़ा जाना है।

चेतावनी, दोनों भाटिया इंटरनेशनल के पैरा 32 से निकलते हैं [भाटिया इंटरनेशनल बनाम। बल्क ट्रेडिंग एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105] स्वयं-जहाँ न्यायालय एक निर्धारण पर आता है कि

न्यायिक स्थान भारत के बाहर है या जहां भारतीय कानून के अलावा अन्य कानून मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करता है, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I को आवश्यक रूप से बाहर रखा जाएगा। निहितार्थ। इसलिए, भाटिया द्वारा शासित मामलों में भी [भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105] सिद्धांत, यह केवल वे मामले हैं जिनमें

समझौतों में कहा गया है कि मध्यस्थता का केंद्र भारत में है

या जिनके तथ्यों पर भारत के बाहर होने के रूप में मध्यस्थता के स्थान पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है जो भाटिया [भाटिया इंटरनेशनल बनाम।

बल्क नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय बियेंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

व्यापार एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105] सिद्धांत। इसके अलावा, यह केवल वे समझौते हैं जो निर्धारित करते हैं या यह निर्धारित करने के लिए पढ़ा जा सकता है कि मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय है। कानून जो द्वारा शासित होता रहेगा

भाटिया [भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए., (2002) 4

एससीसी 105] नियम।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय पहले ही दोनों को निर्धारित कर चुका है कि

मध्यस्थता लंदन में है और मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित है। यह मामला होने के कारण, भारत संघ के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू होगा। धारा 14 का आवेदन किया गया

परिणामस्वरूप भाग I के तहत रखरखाव योग्य नहीं होगा।

19. एक बार फिर, रोजर शाशोआ में "इस अदालत ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया

निम्नलिखित शर्तें -

" 46. जैसा कि पहले कहा गया है, शाशोआ में [रोजर शाशोआ]

वी. मुकेश शर्मा, 2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम)] कुक, जे. ने विश्लेषण के दौरान कहा कि "लंदन मध्यस्थता" एक सर्वविदित घटना है जिसे अक्सर विदेशी नागरिकों द्वारा एक अलग कानून के साथ चुना जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क का कानून।

पक्षों के मूल अधिकारों को नियंत्रित करना और यह है विधायी ढांचे और पर्यवेक्षी शक्तियों के कारण

और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि लंदन न्यायिक सीट और अंग्रेजी है।

क्यूरियल लॉ। 47. बाल्को में [बाल्को बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] संविधान पीठ ने शाशोआ [रोजर शाशोआ बनाम। मुकेश शर्मा, 2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कॉम)] और पुनः प्रस्तुत किया गया

उसी से कुछ अनुच्छेद। प्रशंसा करने के लिए

उचित दृष्टिकोण से विवाद, हम पहले से ही है

ए एन।

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त निर्णय के पैरा 54 को पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रस्ताव को संक्षिप्त रूप से बताया गया है।

50. एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड में न्यायालय की आगे की कार्यवाही।

मामला [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59] ने शाशोआ [रोजर शाशोआ बनाम। मुकेश शर्मा, 2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम)]

सिद्धांत और मैकडॉनेल डगलस कॉर्प को संदर्भित किया। [भारत संघ बनाम। मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। , (1993) 2 लॉयड के प्रतिनिधि 48] जिसमें नेवेरा अमेज़ोनिका में बताए गए सिद्धांत

पेरूआना एस. ए. [नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 116 (सीए)] को दोहराया गया। समझौते के खंडों का निर्माण करते हुए, उक्त प्राधिकारी ने कहा हैः (एनरकॉन (इंडिया) मामला [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59], एस. सी. सी पी. 56 , पैरा 129)

" 129. ..... ' इसके विपरीत, दिए गए कारणों से, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों ने अपनी सहमति से चुना है

उनके मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए कानून के रूप में अंग्रेजी कानून

यद्यपि, भारतीय अधिनियम से संविदात्मक रूप से उन अधिनियम के प्रावधानों को आयात करते हुए जो उनके मध्यस्थता के आंतरिक आचरण से संबंधित हैं और जो अंग्रेजी मध्यस्थता प्रक्रिया के चयन के साथ असंगत नहीं हैं।

कानून "।

49. एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड में [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59], न्यायालय ने "मध्यस्थता की सीट/स्थान" के मुद्दे को संबोधित किया और

" मध्यस्थता का स्थान "प्रदान करने के उद्देश्य से

न्यायालय पर अनन्य अधिकारिता। न्यायालय ने यह प्रश्न उठाते हुए इस बिंदु की सराहना की कि क्या वाक्यांश "स्थल लंदन में होगा" का उपयोग वास्तव में पदनाम को संदर्भित करता है लंदन में मध्यस्थता का स्थान। न्यायालय ने लंदन को मध्यस्थता का स्थान/स्थान नहीं माना। अदालत ने नेवेरा अमेज़ोनिका [नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना] को संदर्भित किया

सर्विसेज लिमिटेड, 2008 बस एलआर डी 137 (क्यूबीडी): 2008 ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी)] और सी वी। डी [सी वी। डी, 2008 बस एलआर 843:

2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. वाई. वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब एन. टी. ई. एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्रभट, जे.]

iv 1282 (CA)] और फिर राय दीः (एनरकॉन (इंडिया) से [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसीः (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59], एस. सी. सी पी. 54 , पैरा 123-124)

" 123. डॉ. सिंघवी द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, वे संबंधित हैं -

वाक्यांश "लंदन में मध्यस्थता" या समान अभिव्यक्तियाँ

वहाँ तक। समान शब्द के साथ समान नहीं किया जा सकता है

" मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लंदन में होगा।

लंदन में मध्यस्थता को समझा जा सकता है

इसमें स्थान के साथ-साथ सीट भी शामिल है; लेकिन यह कल्पना को फैलाना होगा यदि मध्यस्थता का स्थान होगा। लंदन में होना किसी अन्य कारक के अभाव में "मध्यस्थता का स्थान लंदन होगा" के रूप में समझा जा सकता है।

मध्यस्थता को लंदन से जोड़ना। इसके बावजूद

हमें समझाने के लिए डॉ. सिंघवी की आकर्षक प्रस्तुति, हम इस धारणा को स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि भारत सभी उपचारों के लिए प्राकृतिक मंच नहीं होगा।

भारत के साथ इतने करीबी और घनिष्ठ संबंध रखने वाले विवाद। इसके विपरीत लंदन को केवल एक के रूप में वर्णित किया गया है

डॉ. सिंघवी का कहना है कि यह एक स्वाभाविक मंच होगा।

124. शाशोआ में [रोजर शाशोआ बनाम। मुकेश शर्मा, 2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम)], इस तरह की अभिव्यक्ति को स्थल के बजाय सीट के रूप में समझा गया था, जैसा कि पार्टियों ने किया था।

इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आई. सी. सी. के नियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। शाशोआ में [रोजर शाशोआ बनाम। मुकेश

शर्मा, 2009 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम)], अनुपात

नेवेरा में [नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड्स रेप 116 (सीए)] और ब्रेज़ ऑफ़ डोने [ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड v. अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, 2008 बस एलआर डी 137 (क्यूबीडी): 2008 ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी)] का पालन किया गया है। उस मामले में, न्यायालय पक्षों के बीच शेयरधारकों के समझौते के निर्माण से संबंधित था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि

मध्यस्थता लंदन, यूनाइटेड किंगडम में होगी। यह प्रदान किया गया

कि मध्यस्थता कार्यवाही आई. सी. सी. नियमों के अनुसार अंग्रेजी में संचालित की जानी चाहिए और यह कि शेयरधारकों के समझौते का शासी कानून स्वयं

भारत का कानून बने। .....

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. आईमैक्स निगम बनाम। ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) (पी.) लिमिटेड 26, इस नियम का फिर से पालन किया गया। यह पुरस्कार एक प्री-बाल्को पुरस्कार था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने लंदन स्थित मध्यस्थता के रूप में आईसीसी के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए स्पष्ट रूप से चुना था, अदालत ने कहा कि "आईसीसी ने लंदन को चुना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थता से संबंधित सभी मामलों में यूके के कानून को आकर्षित करेगा।" यह मानने के बाद कि पक्षकार '

सीट का चुनाव भारत के बाहर था, हालांकि कोई स्पष्ट कार्यकाल नहीं था, और कि आई. सी. सी. ने इसे अपने नियमों के तहत चुना, अदालत ने आगे कहाः

खंड। हालाँकि आई. सी. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थता आयोजित करने के लिए एक समझौता है और इस प्रकार एक इच्छा है कि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो सकता है। किसी भी मामले में, पक्षकारों ने आई. सी. सी. और आई. सी. सी. द्वारा सीट तय करने पर सहमति व्यक्त की और पक्षों से परामर्श करने के बाद लंदन को चुना। और निर्णय का पालन करने वाले पक्षों को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि आई. सी. सी. के निर्णय पर मध्यस्थता आयोजित करने के लिए

लंदन, पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि सीट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लंदन में होगी। इसलिए, एक समझौता है कि मध्यस्थता लंदन में आयोजित की जाएगी और इस प्रकार इसका भाग I

इस अधिनियम को बाहर रखा जाना चाहिए।

बी. जी. एस. सोमा जे. वी. बनाम में निर्णय। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम ने इन सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में फिर से कहाः

" 38. बाल्को के पैरा 75,76,96,110,116,123 और 194 का पठन [बाल्को बनाम। कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एससीसी 552: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] दिखाएगा कि जहां पक्षों ने मध्यस्थता के स्थान का चयन किया है उनके समझौते, इस तरह के चयन के लिए तब राशि होगी

अनन्य अधिकारिता खंड, जैसा कि अब पक्षों के पास है

संकेत दिया कि "सीट" पर अदालतों के पास अकेले मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ चुनौतियों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो सीट पर किए गए हैं। पैरा में दिया गया उदाहरण

96 इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, और ऊपर बताए गए पिछले और बाद के पैराग्राफ द्वारा समर्थित है।

26 2017 (5) एस. सी. सी. 331 27 2020 (4) एस. सी. सी. 234 नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग एस. पी. ए., (अब नॉय बायनेट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

द बाल्को [बाल्को वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक.,

(2012) 9 एससीसी 552: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] निर्णय, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो अंग्रेजी निर्णयों (और जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में है) द्वारा निर्धारित "सीट" की अवधारणा को लागू करता है, धारा 20 को धारा 2 (1) (ई) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या करके, ताकि "न्यायालय" की परिभाषा को व्यापक बनाया जा सके, और मध्यस्थता के "सीट" के अपने केन न्यायालयों के भीतर लाया जा सके।

*

**

******

न्यायालयों के दो समूहों को दिया जाता है, अर्थात्, वे न्यायालय जिनके पास अधिकार क्षेत्र होगा जहां कार्रवाई का कारण स्थित है; और वे न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है। हालाँकि, जब "सीट" के रूप में एक तटस्थ स्थान प्रदान करने की बात आई मध्यस्थता कार्यवाही, पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील केवल उस सीट की अदालतों के लिए होगी जो उस उदाहरण में दिल्ली है-जो मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालतें हैं। उदाहरण में आगे कहा गया है कि यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि दायित्व

अनुबंध के तहत निष्पादित किया जाना, जो कार्रवाई का कारण है, आंशिक रूप से मुंबई या कोलकाता में उत्पन्न हो सकता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता दिल्ली में होनी है।

हालांकि, उक्त पैराग्राफ में अगला वाक्य दोनों अदालतों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र को दोहराता है।

****

****

****

44. यदि अनुच्छेद 75,76,96,110,116,123 और 194 बाल्को [बाल्को वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., [2020] 12 एस. सी. आर.

एक साथ, जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि धारा 2 (1) (ई) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए,

1996 , जो पार्टी की स्वायत्तता को मान्यता देता है

द.

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने क्षेत्रीयता को स्वीकार किया

UNCITRAL मॉडल कानून का पालन करते हुए धारा 2 (2) में सिद्धांत।

धारा 2 (1) (ई) की संकीर्ण संरचना स्पष्ट रूप से थी बाल्को में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया [बाल्को वी. कैसर]

एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम, (2012) 9 एस. सी. सी. 552: (2012)

4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] ऐसा होने के कारण, फिर क्या देखा जाना है

धारा 2 (1) (ई) पर धारा 20 का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

***

*** ****

**

**

***

कानून को समझा कि एक बार मध्यस्थता का स्थान है चुना गया है, यह एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के बराबर है, जहाँ तक

जैसा कि उस सीट पर अदालतों का संबंध है। एनरकॉन (भारत) में

लिमिटेड वी. एनरकॉन जीएमबीएच [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन

जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सिविल) 59], यह न्यायालय शाशोआ [शाशोआ बनाम में उक्ति को मंजूरी दी। शर्मा, 2009

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कॉम): (2009) 2 लॉयड के कानून प्रतिनिधि 376]।

**

*

*

**

*

51. एनरकॉन [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन

जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59] ने तब निष्कर्ष निकाला

: (एस. सी. सी पी. 60, पैरा 138)

" 138. एक बार जब भारत में मध्यस्थता का स्थान तय हो जाता है,

यह प्रयोग करने के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र की प्रकृति में होगा

मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ।

(जोर दें) "

21. इस मुद्दे पर नवीनतम निर्णय भारत सरकार बनाम

एनटीए लिमिटेड 2 8. विवाद एक पूर्व-बाल्को अनुबंध से उत्पन्न हुआ; डी 18.01.2011 (बाल्को निर्णय से पहले) पर प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थता का नियम कुआलालंपुर था; हालाँकि, का शासी कानून

ग्रीमेंट या अनुबंध, अंग्रेजी कानून था। यह अदालत, अपने तीन मामलों में

ई निर्णय, अभिनिर्धारित किया कि क्यूरियल कानून, अर्थात नियंत्रित करने वाला कानूनपुरस्कार के लिए, मलेशियाई कानून था, निम्नलिखित शब्दों में: 29

" (i) वर्तमान मामले में, मध्यस्थता के लिए समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34.12 के अनुसार अंग्रेजी कानून था।

जो प्रावधान करता है कि मध्यस्थता समझौता होगा

इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित। भले ही सीट अदालतों द्वारा मध्यस्थता करने के लिए समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून के आवेदन में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने बताया है, हम इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रवर्तन अदालत सीट अदालत के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठती है। इसके अलावा, राष्ट्रों के समुदाय के सिद्धांतों को देखते हुए, यह न्यायालय अन्य क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करेगा।

पुरस्कार का प्रवर्तन पीठ पर कार्यवाही को अलग करने से एक बाद की और अलग कार्यवाही है। प्रवर्तन न्यायालय भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अध्याय 1 भाग 2 के प्रावधानों के अनुसार भारत में विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता के मुद्दे को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करेगा।

(ii) न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालतें उस राज्य की अदालतें हैं जहां पुरस्कार दिया गया था, या यह निर्धारित किया गया है कि यह मध्यस्थता के स्थान पर किया गया था। मध्यस्थता का केंद्र एक कानूनी अवधारणा है अर्थात मध्यस्थता का न्यायिक गृह। कानूनी

" सीट को भौगोलिक रूप से सुविधाजनक के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ सुनवाई आयोजित करने के लिए चुना गया स्थान

मध्यस्थता। मध्यस्थता के स्थान पर अदालतों को अदालतों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो पुरस्कार पर "पर्यवेक्षी" या "प्राथमिक" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (e) में उपयोग किए गए "जिन कानूनों के तहत पुरस्कार दिया गया था", भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (e) में प्रतिबिंबित होता है, जो उस देश को संदर्भित करता है जहां मध्यस्थता का स्थान है।

मध्यस्थता, न कि राज्य जिसके कानून को नियंत्रित करते हैं

मूल अनुबंध "।

सी. टी., यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इसे सही स्थिति के रूप में समझा, और कुआलालंपुर में एक ठोस आधार पर पुरस्कार को चुनौती दी।

इसके बाद अदालत ने बाल्को विशेष रूप से पारस 76 23 पर भरोसा किया और उसके बाद कहाः

" (iii) जिन न्यायालयों के समक्ष मान्यता और प्रवर्तन के लिए विदेशी पुरस्कार लाया जाता है, वे निर्णय लेने के लिए पुरस्कार पर "द्वितीयक" या "प्रवर्तन" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।

उस में पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तनीयता

अधिकार क्षेत्र।

((iv) अब हम संक्षेप में उन चार प्रकार के कानूनों पर चर्चा करेंगे जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में लागू होते हैं।

मध्यस्थता और उससे उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही। ये

ये हैंः क) शासी कानून अंतर्निहित वाणिज्यिक मामलों में पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है।

अनुबंध। पक्ष आम तौर पर मूल अनुबंध के शासी कानून का चुनाव करते हैं; शासी कानून के विकल्प के अभाव में, यह न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा

कानून नियमों के टकराव के अनुसार, जिन पर विचार किया जाता है

लागू करने के लिए। ख) मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून होना चाहिए

लागू कानून से अलग से निर्धारित

मूल अनुबंध। 44 मध्यस्थता समझौता गठित करता है

एक अलग और स्वायत्त समझौता, जो

मध्यस्थता समझौते की वैधता और सीमा का निर्धारण करना; पक्ष की स्वायत्तता की सीमाएँ, न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र, आदि।

(ग) मध्यस्थता का प्रारंभिक कानून मध्यस्थता के केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, यह आवश्यक है कि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन मध्यस्थता के स्थान के कानून से जुड़ा हो, जो मध्यस्थता कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करेगा। पक्षकारों के पास कानून के चयन को निर्धारित करने की स्वायत्तता है, जो मध्यस्थता प्रक्रिया को नियंत्रित करेगी, जिसे लेक्स आर्बिट्री के रूप में संदर्भित किया जाता है, और जिसे मध्यस्थता के स्थान के चयन में व्यक्त किया जाता है। 45

क्यूरियल लॉ मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता की शुरुआत, न्यायालय द्वारा डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थों की नियुक्ति, नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग एसपीए का अनुदान, (अब नॉय बायेंट एसपीए के रूप में जाना जाता है) को नियंत्रित करता है।

जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अस्थायी उपाय, साक्ष्य का संग्रह, सुनवाई और पुरस्कार को चुनौती।

मध्यस्थता की पीठ पर स्थित अदालतें मध्यस्थता की कार्यवाही पर पर्यवेक्षी या "प्राथमिक" अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती हैं, सिवाय इसके कि पक्षकारों ने एक अलग मध्यस्थता का एक स्पष्ट और प्रभावी विकल्प चुना है, जिस स्थिति में, पीठ पर अदालतों की भूमिका उन मामलों तक सीमित होगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य और गैर-विवादास्पद प्रकृति के निर्दिष्ट हैं। 46

घ) लेक्स फोरम अन्य क्षेत्राधिकारों में पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए कार्यवाही को नियंत्रित करता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद III में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अदालतें मान्यता और प्रवर्तन कार्यवाही के लिए लागू सीमा अवधि के संबंध में अपने-अपने लेखों को लागू करती हैं; जिस तारीख से सीमा अवधि शुरू होगी,

क्या सीमा की अवधि बढ़ाने की शक्ति है। लेक्स फोरी उस न्यायालय को निर्धारित करता है जो सक्षम है और

विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, और विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय। (v) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मलेशियाई न्यायालयों को भारत सरकार द्वारा उठाई गई सार्वजनिक नीति चुनौती के लिए मलेशियाई अधिनियम को लागू करने में उचित ठहराया गया था।

प्रवर्तन अदालत, हालांकि, मलेशियाई अदालतों के निष्कर्षों से बाधित हुए बिना, अधिनियम की धारा 48 के तहत उपलब्ध आधारों के अनुसार पुरस्कार को चुनौती देने की जांच करेगी। केवल इसलिए कि मलेशियाई अदालतों ने इस फैसले को बरकरार रखा है, भारतीय अदालतों के लिए यह जांच करने में कोई बाधा नहीं होगी कि क्या यह फैसला धारा 48 के तहत भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ था।

भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996। यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, तो इसे भारतीय अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। प्रवर्तन अदालत हालांकि पुरस्कार की चुनौती का फैसला करते समय सीट अदालतों के फैसले की शुद्धता का अनुमान या समीक्षा नहीं करेगी। "[2020] 12 एस. सी. आर.

इसलिए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि पुरस्कार के लिए एक ठोस चुनौती, सही ढंग से मलेशियाई अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था, क्योंकि मध्यस्थता का स्थान कुआलालंपुर था।

22. इस मामले में अनुबंध 30 का अनुच्छेद 12 विविध मामलों से संबंधित है। खंड 12.4 इस प्रकार हैः

" 12.4. 1 यह इंजीनियरिंग अनुबंध द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

भारत के कानून।

12.4. 2 इस इंजीनियरिंग से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी मामले के रूप में पक्षों के बीच विवाद या असहमति के मामले में उस अनुबंध और बशर्ते कि मतभेदों के निपटारे के लिए पक्षों के बीच कोई समझ नहीं हो सकती है, मामले को अंततः मध्यस्थता द्वारा सुलझा लिया जाएगा। कि सुलह और मध्यस्थता के नियमों के तहत

इंटरनेशनल द चैंबर ऑफ कॉमर्स पेरिस, और मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और लंदन में होगी। इस तरह के मध्यस्थता के निर्णय

अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होना।

23. पूर्ववर्ती सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हुए, कहने के लिए, किए गए समझौतों के संबंध में बाल्को की प्रयोज्यता के तरीके के बारे में के आसन के कानून के संबंध में पहले दिए गए पुरस्कारों में

अधिनियम के भाग I की प्रयोज्यता और वर्तमान मामले में पक्षों के स्पष्ट इरादे को छोड़कर मध्यस्थता (या प्रारंभिक कानून)

(खंड 12.4.2) में व्यक्त किया गया है कि मध्यस्थता का स्थान लंदन था, जहां वास्तव में आई. सी. सी. मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी, और दिए गए पुरस्कार, इस अदालत की राय है कि विवादित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

24. उपरोक्त चर्चा इस अपील का निपटारा करने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि फ्यूरेस्ट डे लॉसन 3 1 में निर्णय ने किसी भी अपील की स्थिरता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को मंजूरी देने वाले आदेश के विरुद्ध। वर्तमान मामले में, आंशिक और अंतिम दोनों पुरस्कार विदेशी पुरस्कार हैं।

इसलिए, धारा 47/48 के प्रावधानों को एन. वी. इंजीनियरिंग द्वारा पुरस्कारों को लागू करने के लिए (आवेदन संख्या 156/2005 के माध्यम से) सही ढंग से लागू किया गया था। जिंदल ने प्रवर्तन कार्यवाही पर आपत्ति जताई, 30 ई. सी. ए. ए. पी., अर्थात संयंत्र अनुबंध 31 शीर्ष एन.

17 नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय के रूप में जाना जाता है)

एम्बीएंट एस. पी. ए.) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अधिनियम के भाग 2 में व्यक्त आधारों के अनुसार। एक एकल न्यायाधीश ने काफी हद तक पुरस्कार को बरकरार रखा, और उसी समय जिंदल द्वारा निर्धारित प्रवर्तन की चुनौती को खारिज करते हुए, 05.06.2006 दिनांकित निर्णय द्वारा इसके प्रवर्तन के लिए आगे बढ़े। दोनों पक्षों ने डिवीजन बेंच में अपील की; जिंदल, एकल न्यायाधीश के आदेश के उस हिस्से के बारे में प्रवर्तन (अपील संख्या 492/2006), और एन. वी. इंजीनियरिंग पर अपनी आपत्ति को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए, पुरस्कार (अपील) के एक हिस्से को लागू करने से इनकार करते हैं। नं. 740/2006)। 25. फ़्यूर्स्ट डे लॉसन 3 2 के निर्णय में इस अदालत को अधिनियम की धारा 50 (नीचे दिए गए फुटनोट में उद्धृत) की व्याख्या करनी थी, जो अपील योग्य विषय मामलों की एक प्रतिबंधात्मक श्रेणी का प्रावधान करती है, और अन्य मामलों में अपील को प्रतिबंधित करती है। न्यायालय ने पिछले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय दिए:

" 88. मोहिंद्रा सप्लाई कं. [भारत संघ बनाम। मोहिंद्रा सप्लाई कंपनी, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 256] को आखिरी बार पी. एस. सतप्पन मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले में संदर्भित किया गया था।

[पी. एस. सतप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड (2004) 11 एस. सी. सी. 672],

और जिस तरह से संविधान पीठ ने समझा और

व्याख्या की गई मोहिंद्रा सप्लाई कंपनी [भारत संघ]

मोहिंद्रा सप्लाई कं., ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 256] निर्णय के निम्नलिखित पैरा 10 से स्पष्ट होगाः (पी. एस. सतप्पन

मामला [पी. एस. सतप्पन बनाम। आंध्र बैंक लिमिटेड (2004) 11 एस. सी. सी.

672] , एससीसी पीपी। 689-90)

10. ..... लेटर पेटेंट में अपील के लिए प्रावधान करने वाले प्रावधान, जहां तक वे पारित आदेशों से संबंधित हैं।

मध्यस्थता कार्यवाही को मध्यस्थता की धारा 39 (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन माना गया था।

अधिनियम, उसी के रूप में एक स्व-निहित कोड से संबंधित है

मध्यस्थता।

32 सुप्रा एन. 17 33 " 50.अपील योग्य आदेश। (1) इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी

(क) धारा 45 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें;

(ख) ऐसे आदेश की अपीलों को सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार लागू करें।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीन नहीं लेगा।

89. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940, अपनी स्थापना से लेकर 2004 तक (पी. एस. सतप्पन [पी. एस. सतप्पन बनाम। आंध्र बैंक लिमिटेड (2004) 11 एस. सी. सी. 672]) को एक स्व-निहित कोड माना गया था। अब, यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को मामलों पर एक स्व-निहित संहिता माना जाता था

मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम से संबंधित,

1996 , जो कानून को समेकित, संशोधित और डिजाइन करता है।

इसे लाने के लिए मध्यस्थता से संबंधित, जितना संभव हो सके, UNCITRAL मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता और संपूर्ण है, तो तुलजापुरकर, जे. की स्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह एक नकारात्मक महत्व रखता है जो केवल ऐसे कार्य हैं जिनका अधिनियम में उल्लेख किया गया है।

करने की अनुमति और कार्य या चीजें जिनका उल्लेख नहीं किया गया है

इसमें ऐसा करने की अनुमति नहीं है "[संदर्भ एस. एन. श्रीकांतिया और कंपनी के लिए है। भारत संघ, 1965 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 133: ए. आई. आर. 1967 बम 347 पी. 354 , पैरा 9।] . अन्य में

शब्दों में, एक पत्र पेटेंट अपील को बाहर रखा जाएगा

सामान्य सिद्धांतों में से एक का अनुप्रयोग कि जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित कोड निर्धारित करता है

सामान्य विधि प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर रखा जाएगा।

इन टिप्पणियों को यूनियन ऑफ इंडिया प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 3 4 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और अदालत ने आगे कहाः

" 10. इस निर्णय के बाद, यह तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है कि पत्रों के संबंध में पेटेंट अपील का उपचार उपलब्ध था विचाराधीन विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय। इस कानूनी स्थिति को इस न्यायालय के हाल के फैसले में दोहराया गया है (जिसमें हममें से एक पक्षकार न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा थे),

अरुण देव उपाध्याय बनाम। इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड [अरुण देव उपाध्याय बनाम। एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड, (2016) 9 एस. सी. सी. 524: (2016) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 564] "

यह अदालत, कांडला निर्यात निगम में। वी. ओ. सी. आई. निगम 3 5 ने अभिनिर्धारित किया कि प्रवर्तन के आदेश से व्यथित किसी पक्ष की अपील, यहां तक कि बाद में अधिनियमित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 भी विचारणीय नहीं हैः

" 20. फ्यूर्स्ट डे में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

लॉसन [फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011)

(14) एससीसी 225

8) 14 एस. सी. सी. 715 नॉय वैलेसिना इंजीनियरिंग स्पा, (अब नॉय एंबिएंट एस. पी. ए. के रूप में जाना जाता है) v. जिंदल ड्रग्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

8 एससीसी 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178], जिसे संसद को यह जानने के लिए माना जाता है कि उसने मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 कब लागू किया था, और इस तथ्य को देखते हुए कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यह स्पष्ट है कि धारा 50 मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता में निहित प्रावधान है, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। इसमें फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड v. के पैरा 89 में उल्लिखित नकारात्मक आयात है। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] कि जिन अपीलों का उसमें उल्लेख नहीं है, वे अनुज्ञेय नहीं हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से संबंधित मध्यस्थता का एक सामान्य प्रावधान होने के कारण, स्पष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 50 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगी।

मध्यस्थता अधिनियम।

22. वास्तव में, यह धारा 50 की भाषा से ही मिलता है। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, यह

केवल धारा 50 ही अपील का प्रावधान करती है। अपील के लिए प्रावधान करने के बाद, अपील का मंच "ऐसे आदेशों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय" पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए, धारा 50 को ठीक से पढ़ने का अर्थ यह होगा कि यदि कोई अपील उक्त प्रावधान के तहत है, तो अकेले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) को निम्नानुसार निर्धारित करने के रूप में आकर्षित किया जाएगाः

ऐसा मंच जो इस तरह की अपील को सुनेगा और उस पर फैसला करेगा।

इस अदालत के फैसलों में स्पष्ट धारणाओं को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच में जिंदल की अपील, (अपील संख्या 492/2006) नहीं है। बनाए रखने योग्य। हालाँकि, उपरोक्त निर्णयों और धारा 50 की स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, एन. वी. इंजीनियरिंग की अपील (अपील)। नं. 740/2006), एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ (जिस हद तक यह प्रवर्तन से इनकार करता है) बनाए रखने योग्य है।

26. इस अदालत ने प्रवर्तन आदेश को मूल चुनौती के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, क्योंकि पक्षों को नहीं सुना गया था और इसलिए, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, जिंदल इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि डिवीजन बेंच में उनकी अपील यह पहलू लंबित है। इस न्यायालय के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी [2020] 12 एस. सी.

अपील (प्रवर्तन के आदेश के खिलाफ) धारा 50 के कारण असमर्थनीय है, एकल न्यायाधीश के आदेश पर जिंदल की आपत्तियों के गुण, इसे उचित कार्यवाही में प्रचार करने के लिए हैं। इस तरह की कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी उपाय का सहारा नहीं हो सकती है यदि जिंदल इस तरह के उपाय का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो सवाल यह है कि

सीमा को खुला छोड़ दिया गया है, क्योंकि यह अदालत इस तथ्य से अवगत है कि फ्यू डे लॉसन 3,6 एक निर्णय है जो 10 साल पहले दिया गया था; इसने निर्णायक रूप से कानून का निपटारा किया और बाद के फैसलों में इसका पालन किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिंदल कानून से अनजान थे।

27. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है; उपरोक्त क्षेत्र में अपील की अनुमति दी जाती है और ₹ 1,50,000/- पर निर्धारित लागत का भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जाएगा।

अपील की अनुमति दें

कल्पना के. त्रिपाठी 36 सुप्रा एन. 17